न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1564–पीबीआर/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 115/2000–01/निगरानी.

अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल करीम खां
निवासी ग्राम गतारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– हुसैन खां पुत्र तेज खां (मृतक) द्वारा वारिसान–
1– श्रीमती बाईया पत्नी हुसैन खां
2– नवाब खां पुत्र हुसैन खां
3– कप्तान खां पुत्र हुसैन खां
4– शरीफ खां उर्फ बड़े पुत्र हुसैन खां
5– खलील खां उर्फ छोटे पुत्र हुसैन खां
निवासीगण ग्राम गतारी
परगना डबरा जिला ग्वालियर
6– अनीसा पत्नी सलीम
निवासी साईनी मोहल्ला दतिया
7– रूखसाना पत्नी सकील खां
निवासी चौपार वार्ड कमांक 13 पिछोर
परगना डबरा जिला ग्वालियर
2– अब्दुल अजीत खां पुत्र रूस्तम खां
3– तेहसील खां पुत्र छोटे खां
4– रफीक खां पुत्र अमीर खां
5– अब्दुल रहूक पुत्र करीम खां
6– दुरला बाई पत्नी अब्दुल रहूक खां
7– जुम्मन खां पुत्र झीरी खां
8– अव्दार खां पुत्र झीरी खां
9– हरीशंकर पुत्र माखनलाल
निवासीगण ग्राम गतारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
10– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 के वारिसान
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को पट्टे में प्राप्त भूमि के बटांकन हेतु आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, डबरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–3/1993–94 दर्ज कर दिनांक 17–5–94 को बटांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–11–99 को आदेश पारित किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–5–94 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधिवत सुनवाई उपरांत तथा विधिवत बटांकन प्रस्ताव लेकर गुण–दोष के आधार पर विधिवत बटांकन की कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–10–2000 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रकरण कमांक 41/99–2000/निगरानी मे दिनांक 24–10–2000 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–11–99 एवं नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–7–90 निरस्त किये जा चुके हैं, अतः तहसीलदार द्वारा किया गया बटांकन विधि के प्रभाव में ही शून्य हो जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा

दिनांक 30–5–2005 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत बटांकन किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय एवं निगरानी न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रचलित है, इस कारण वह आदेश अंतिम नहीं हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा किये गये बटांकन को शून्य मानने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 (मृतक) के वारिसानों के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक के पक्ष में किये गये प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन निरस्त किया जा चुका है, इसलिए बटांकन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तेक्षप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–10–2000 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–11–99 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–7–90 निरस्त किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में जब आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का दिया गया पट्टा ही निरस्त हो चुका है, तब बटांकन किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का बटांकन आदेश प्रभावशून्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–5–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर